<u>भाग एक</u>

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की संरचना

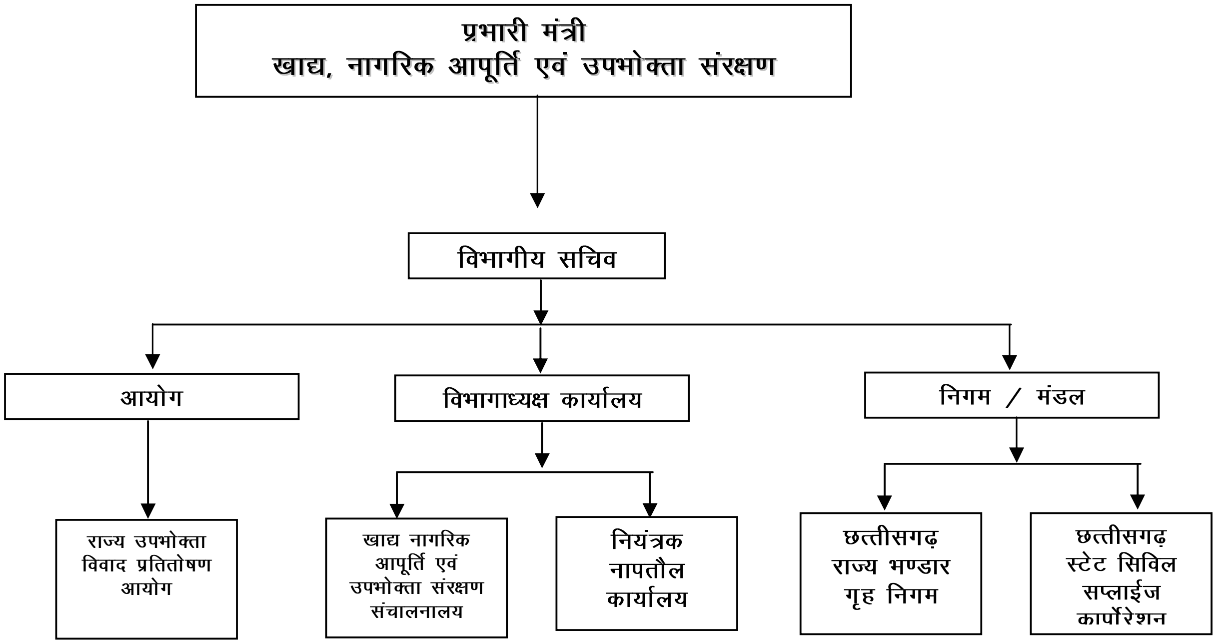

विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम/आयोग

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन उपक्रम/आयोग कार्यरत हैं :-

(I) **छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड**

(II) **छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम**

(III) **छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग**

विभाग के दायित्व

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ साथ नापतौल नियमों के प्रवर्तन एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण-संवर्धन के दायित्वों का निर्वहन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

- **उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन आदि आवश्यक वस्तुऐं उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नियत दरों पर उपलब्ध करवाना ।**

- ⦿ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन । केन्द्र से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न आबंटन को जिलेवार जारी करना एवं उसकी समीक्षा ।
- ⦿ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत बने नियंत्रण आदेशों का परिपालन ।
- ⦿ घोषित समर्थन मूल्य पर धान, गेहूं तथा मक्का, के उपार्जन की व्यवस्था कराना जिससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।
- ⦿ लेव्ही चावल का उपार्जन।
- ⦿ विधिक एवं बजट नियंत्रण संबंधी कार्य।
- ⦿ नाप तौल से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का परिपालन ।
- ⦿ व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक तथा मानव सुरक्षा में उपयोग में आने वाले उपकरणों की विशुद्धता (**Accuracy**) बनाए रखना । नापतौल उपकरणों के सत्यापन/मुद्रांकन हेतु शिविरों का आयोजन।
- ⦿ व्यापारिक संस्थानों की जांच एवं त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध नियमों के तहत कार्यवाही। नापतौल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता एवं सुधारकों को अनुज्ञप्तियां प्रदाय करना । नापतौल उपकरणों की संवेदनशील प्रयोगशालाओं का संधारण।
- ⦿ उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण एंव संवर्धन ।
- ⦿ विभाग के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ।

प्रभावशील अधिनियम, नियम एवं नियंत्रण आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य नागरिक आपूति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण एवं प्रदाय हेतु निम्न अधिनियम नियंत्रण आदेशों को लागू किया गया है –

01. छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004
02. छत्तीसगढ चावल अधिप्राप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007
03. छत्तीसगढ केरोसिन तेल व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979
04. छत्तीसगढ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980
05. छत्तीसगढ़ चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाए रखना आदेश, 1980
06. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
07. उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय
(विभागाध्यक्ष कार्यालय)

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय की संरचना

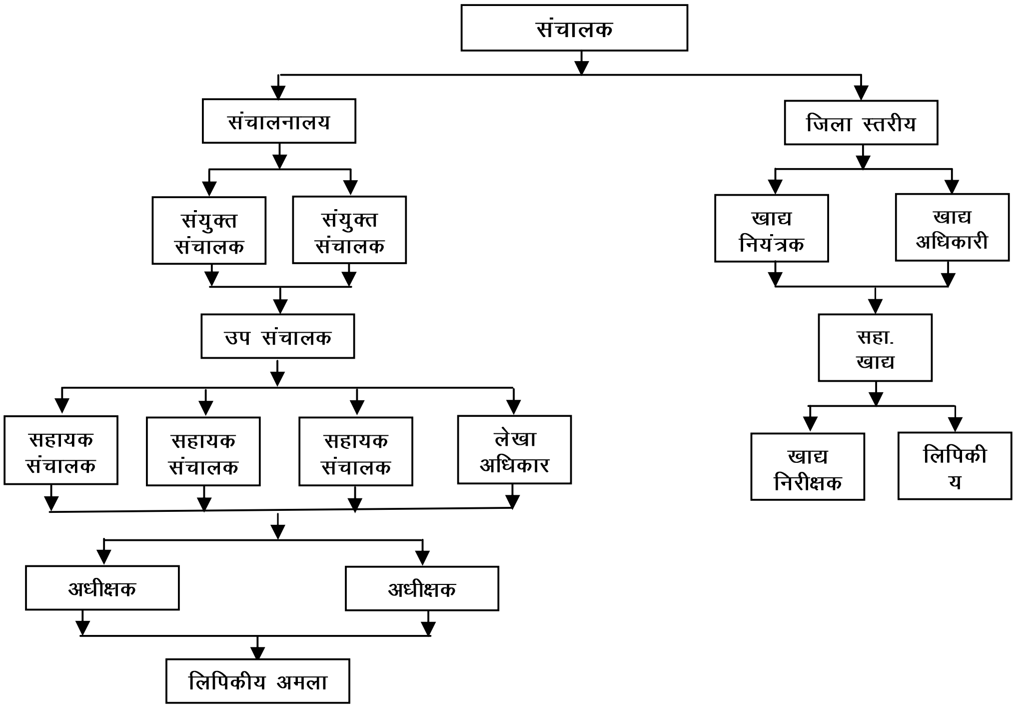

राज्य पुर्नगठन के पश्चात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय/जिला कार्यालयों के लिए कुल 463 पदों की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 08 पद, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 18 पद, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) कर्मचारियों के 221 पद तृतीय श्रेणी 155 एवं चतुर्थ श्रेणी के 61 पद स्वीकृत करते हुए कुल 463 पदों का सृजन किया गया है ।

वर्तमान में स्वीकृत सेटअप के अनुसार संचालनालय एवं मैदानी स्तर पर स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

संचालनालय स्तर पर कार्यरत अमले की जानकारी

क.	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	04
2	द्वितीय	04
3	तृतीय	29
4	चतुर्थ	09
योग		**46**

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	04
2	द्वितीय	14
3	तृतीय	347
4	चतुर्थ	52
योग		**417**

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान खाद्य निरीक्षकों के रिक्त 87 पदों की नियुक्ति की कार्यवाही विभाग द्वारा की गई है, जिससे सभी जिलों में निरीक्षण के लिए पर्याप्त अमला उपलब्ध हुआ है ।

विभागीय गतिविधियां
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्‌देश्य उपभोक्ता वस्तुओं का स्थान, समय और आर्थिक पहलू की उपयोगिता को ध्यान में रख कर न्यायपूर्ण कीमत तथा उपयुक्त आधार पर समान वितरण की समुचित व्यवस्था से है । आम उपभोक्ताओं की आसान पहुंच में उचित मूल्य दुकानें उपलब्ध होने पर ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सफलता संभव है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय प्रदेश में 6,501 उचित मूल्य दुकानें संचालित थी किन्तु राज्य गठन के पश्चात इसकी महत्ता को देखते हुए 3,899 नयी दुकानें स्थापित की गई है, जिससे राज्य में खाद्य सुरक्षा का दायरा सुदृढ़ हुआ है तथा बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय अन्न योजना के खाद्यान्न के उठाव में आशानुरूप वृद्धि हुई है ।

उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल आदि वस्तुएं उचित दर पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.06.1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियाशील है ।

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004

वर्ष 2001 में उचित मूल्य दुकानों के संचालन में निजी व्यक्तियों की सहभागिता का राज्य सरकार का अनुभव अच्छा नही रहा है फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समयानुकूल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 23 दिसंबर, 2004 से पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 लागू किया गया है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक जनोन्मुखी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है ।

उचित मूल्य दुकानों का विवरण

उचित मूल्य की दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जीवनरेखा है । इन उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, शक्कर, मिट्टी तेल, एवं अमृत नमक उपलब्ध कराया जाता है । राज्य में फरवरी 2008 की स्थिति में 10,400 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैं –

क.	जिला	पंचायत	लेम्पस	सेवा सहकारी समिति	अन्य सहकारी समिति	महिला स्व सहायता समूल	वन सुरक्षा समिति	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**
1	रायपुर	256	93	554	222	60	0	1185
2	धमतरी	29	52	137	24	46	0	288
3	महासमुन्द	98	0	215	35	56	6	410
4	बिलासपुर	471	0	136	155	252	16	1030
5	जांजगीर	166	0	195	31	226	0	618
6	कोरबा	322	14	0	48	20	3	407
7	दुर्ग	401	71	0	435	404	21	1332
8	राजनांदगांव	175	80	215	40	238	3	751
9	कवर्धा	50	0	197	0	108	1	356
10	रायगढ़	437	0	0	38	282	11	768
11	जशपुर	392	0	0	13	7	101	513
12	सरगुजा	616	219	23	41	120	7	1026
13	कोरिया	152	3	0	31	84	29	299
14	बस्तर	350	45	0	52	222	18	687
15	कांकेर	123	37	0	81	117	3	361
16	दंतेवाड़ा	110	44	0	149	53	13	369
	योग–	**4148**	**658**	**1672**	**1395**	**2295**	**232**	**10400**

राशनकार्ड

उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से राशनकार्ड प्रदान किए जाने की व्यवस्था है । ए.पी.एल. राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बनाने के अधिकार हैं । बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्ड बनाने का अधिकार कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2002, वर्ष 1997–98 एवं वर्ष 1991 की बी.पी.एल. सर्वे सूची के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बी.पी.एल.) परिवारों को राशनकार्ड प्रदाय किए गए हैं। जनवरी, 2008 की स्थिति में प्रदेश में राशनकार्डों की योजनावार स्थिति निम्नानुसार हैं –

क्र.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशनकार्ड			मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड		
	बी.पी.एल. (पीला)	अन्त्योदय (लाल)	अन्नपूर्णा (बैगनी)	केसरिया	10 किलो केसरिया	स्लेटी
1	700889	718900	26112	438474	228904	1214850

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के विभिन्न प्रकार के राशनकार्डों के हितग्राहियों की पात्रता का आधार निम्नानुसार है –

01. **बी.पी.एल. (पीला) राशनकार्ड** – वर्ष 1997 (नगरीय) तथा वर्ष 2002–03 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित समस्त गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार ।

02. **अन्त्योदय (लाल) राशनकार्ड** – अति गरीब परिवार, अन्त्योदय परिवारों के राशनकार्ड यथावत बनाए रखे गए हैं ।

03. **अन्नपूर्णा (बैगनी) राशनकार्ड** – वृद्ध निराश्रित हितग्राही, अन्नपूर्णा हितग्राहियों के राशनकार्ड यथावत बनाए रखे गए हैं ।

04. **केसरिया राशनकार्ड** – वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997–98 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित ऐसे गैर अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जनजाति के राशनकार्डधारी परिवार जिनके नाम वर्ष 1997 के नगरीय बी.पी.एल. सर्वे अथवा वर्ष 2002–03 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित नहीं है ।

05. **<u>स्लेटी राशनकार्ड</u>** – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे राशनकार्डधारी परिवार जिनके नाम वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997–98 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित हैं तथा वर्ष 1997 (नगरीय) तथा वर्ष 2002–03 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार जो अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के हितग्राही नहीं हैं । साथ ही ऐसे विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार जो अन्त्योदय अन्न योजना में सम्मिलित नहीं है ।

06. **<u>10 किलो केसरिया राशनकार्ड</u>** – सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के हितग्राही, जिन्हें बी.पी.एल. योजना, अन्त्योदय योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड जारी नहीं हुआ है ।

<u>राशन सामाग्री की पात्रता</u>

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार द्वारा ए.पी.एल. चावल का मासिक आबंटन 61005 मेट्रिक टन से घटाकर मात्र 3844 मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है । इसके फलस्वरूप ए.पी.एल. राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार खाद्यान्न प्रदाय करना संभव नहीं है । बी.पी.एल. योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारियों के लिए राशन सामाग्री की निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है –

(क) <u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली</u>

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता			
		खाद्यान्न	शक्कर	अमृत नमक	मिट्टीतेल
1	बी.पी.एल.	35 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	प्रति राशन कार्ड 1.30 किलोग्राम	02 किलो अमृत नमक प्रति कार्ड प्रतिमाह 25 पैसे प्रति किलो के मान से	3.85 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड
2	अन्त्योदय अन्न योजना	35 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड			
3	अन्नपूर्णा योजना	10 किलो प्रति माह प्रति राशनकार्ड			

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता			
		खाद्यान्न	शक्कर	अमृत नमक	मिट्टीतेल
4	ए.पी.एल.	35 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड पात्रता निर्धारित है किन्तु भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार आबंटन नहीं दिए जाने के कारण वितरण नहीं किया जा रहा है ।	निरंक	02 किलो महामाया नमक प्रति कार्ड प्रतिमाह 4 रूपये प्रति किलो के मान से	

(ख) <u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना</u>

क्र.	योजना का नाम	योजनान्तर्गत खाद्यान्न की पात्रता			
		खाद्यान्न	शक्कर	अमृत नमक	मिट्टीतेल
1	स्लेटी राशनकार्ड	35 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड	प्रति राशन कार्ड 1.30 किलोग्राम	02 किलो अमृत नमक प्रति कार्ड प्रतिमाह 25 पैसे प्रति किलो के मान से	3.85 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड
2	केसरिया	35 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड			
3	10 किलो केसरिया	10 किलो प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड			

<u>खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक प्रदाय व्यवस्था</u>

प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 11 बेस डिपो स्थापित हैं । राज्य शासन की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो से गेहूं एवं अपने उपार्जन केन्द्रों से विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत उपार्जित चावल तथा शक्कर कारखानों से शक्कर का उठाव कर अपने 98 प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है ।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा राज्य में संचालित प्रदाय केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार हैं –

क.	जिला	प्रदाय केन्द्रों की संख्या	प्रदाय केन्द्रों का नाम
1	रायपुर	13	रायपुर, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल, नेवरा, राजिम, गरियाबंन्द, बिलाईगढ़, देवभोग, धरसींवा, आरंग, अभनपुर, खरोरा,
2	धमतरी	03	धमतरी, कुरूद, नगरी–सिहावा
3	महासमुन्द	05	महासमुंद, बागबाहरा, बसना, सरायपाली, पिथौरा
4	बिलासपुर	08	बिलासपुर, मुंगेली, करगीरोड, पेन्ड्रारोड, बिल्हा, लोरमी, मरवाही, तखतपुर
5	जांजगीर	06	चांपा, अकलतरा, डबरा, नैला, सक्ती, बाराद्वार
6	कोरबा	02	कोरबा, कटघोरा
7	रायगढ़	07	रायगढ, खरसिया, बरमकेला, धर्मजयगढ़, सारंगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा
8	जशपुर	04	जशपुर, पत्थलगांव, बगीचा, कुनकुरी
9	दुर्ग	06	बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, डौंडीलोहारा, साजा, डौण्डी
10	राजनांदगांव	05	राजनांदगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़, मोहला, मानपुर
11	कवर्धा	02	कवर्धा, पंडरिया
12	सरगुजा	08	अंबिकापुर, कुसमी, रामानुजगंज, सीतापुर, वाड्रफनगर, विश्रामपुर, सूरजपुर, सनावल
13	कोरिया	04	बैकुंठपुर, जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी
14	जगदलपुर	11	जगदलपुर, बडेडोगर, करपावंड, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर, माकड़ी, मर्दापाल, मुनगापदर, ओरछा, श्यामपुर
15	कांकेर	08	कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, आमाबेडा, हल्बा, नरहरपुर, पंखाजुर
16	दन्तेवाड़ा	06	दन्तेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम, गीदम, कोंटा, सुकमा
योग		**98**	

उपभोक्ता दर

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश को केन्द्र शासन से प्रतिमाह गेहूं/चावल/शक्कर/मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त होता है । राज्य शासन द्वारा अमृत नमक का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण स्वयं के संसाधनों से किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामाग्री की उपभोक्ता दरें (दिनांक 31.01.2008 की स्थिति में) निम्नानुसार हैं –

(प्रति किलो/लीटर)

क.	वस्तु	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के केसरिया, 10 किलो केसरिया एवं स्लेटी राशनकार्ड तथा बी.पी.एल. (पीला), अन्त्योदय (लाल), अन्नपूर्णा (बैगनी) राशनकार्डधारी हेतु दरें	सफेद राशनकार्ड (ए. पी. एल.) हेतु दरें
1	2	4	3
1	गेहूं	4.75	6.81
2	चावल	3.00	9.04
3	शक्कर	13.50	–
4	अमृत नमक	0.25	–
5	महामाया नमक	–	4.00
6	मिट्टी तेल	8.94 से 9.86 तक	8.94से9.86 तक

सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वर्तमान में भारत सरकार से योजनावार प्राप्त राशन सामाग्री का मासिक आबंटन

(मात्रा मे.टन/किलोलीटर में)

खाद्यान्न	ए.पी.एल.	बी.पी.एल.	अन्त्योदय	अन्नपूर्णा
1	2	3	4	5
गेहूं	-	2610	-	-
चावल	3844	37864	25162	266.66
शक्कर	-	4512		
केरोसिन	15734			

विभागीय योजनाएं

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना –

वित्तीय वर्ष 2006–07 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा था, जिसमें 7.19 लाख अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलित थे । भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गरीब परिवारों की संख्या 18.75 लाख निर्धारित की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न का आबंटन दिया जा रहा है । ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय करने में समस्या हो रही थी । भारत सरकार से राज्य के खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई, ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं अप्रैल, 2007 से ''**मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना**'' प्रारंभ की गई। इस योजना के द्वारा निम्न निर्धन वर्गों को लाभ हो रहा है –

01. वर्ष 2002 के ग्रामीण बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित लाख सभी परिवार ।
02. वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित ऐसे राशनकार्डधारी परिवार, जिनके नाम वर्ष 2002 के बी.पी.एल. सर्वे में आने से छूट गए हैं ।
03. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राही जिन्हें बी.पी.एल., अन्त्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रकार मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अप्रैल, 2007 से लागू होने से राज्य के शेष निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण प्रारंभ हो गया।

राज्य शासन द्वारा जनवरी, 2008 से शेष सभी निर्धन परिवारों को 3.00 रूपए किलो की दर से चावल वितरण प्रारंभ किया गया है ।

बी.पी.एल. योजना –

भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. योजनांतर्गत राज्य के लिए 11.56 लाख परिवारों की संख्या मान्य की गई है तथा इस हेतु प्रत्येक माह 37864 मेट्रिक टन चावल एवं 2610 मेट्रिक टन गेहूं, कुल 40474 मेट्रिक टन खाद्यान्न आबंटित किया जा रहा है ।

बी.पी.एल. योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक वितरित खाद्यान्न की जानकारी निम्नुानसार है :-

(मात्रा मेट्रिक टन में)

बी.पी.एल. गेहूं		बी.पी.एल. चावल	
आबंटन	उठाव	आबंटन	उठाव
23490	22738	340776	340776

<u>अन्त्योदय अन्न योजना</u> –

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च, 2001 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत 7.189 लाख अति गरीब परिवारों को रूपए 3.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है । राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह केन्द्र शासन से 25,162 मेट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है । योजना पर समस्त आनुषांगिक व्यय एवं दुकानों को देय कमीशन राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है जिसके लिए वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रूपये 25 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक अन्त्योदय अन्न योजना हेतु आबंटित खाद्यान्न एवं उसके वितरण की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	वितरण
226458	226458

<u>अन्नपूर्णा योजना</u> –

इस योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्वावस्था पेशंन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है, प्रदेश में इस योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राही कार्डधारियों की संख्या 26,112 है । योजना पर समस्त आनुषांगिक एवं परिवहन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक अन्नपूर्णा योजना हेतु आबंटित खाद्यान्न एवं उसके वितरण की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मेट्रिक टन में)

आबंटन	वितरण
2400	2400

कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न प्रदाय

राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत छात्रों को बी.पी.एल दरों पर प्रति हितग्राही 15 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है । भारत सरकार की पूर्वानुमति से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन से अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्रों को बी.पी.एल. उपभोक्ता दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया । सर्वप्रथम मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, बी.पी.एल. योजना एवं अन्नपूर्णा योजना के राशनकार्डधारियों के चिन्हांकन उपरांत उन्हें राशनकार्ड जारी करते हुए, उनके नाम, निवास स्थान, बी.पी.एल. सर्वे सूची का क्रमांक, संलग्न उचित मूल्य दुकान की जानकारी सहित राशनकार्ड का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया, जो कि विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु सभी जिला खाद्य कार्यालयों को इंटरनेट के माध्यम से राज्य मुख्यालय से जोडा गया है । राशन सामाग्री के आबंटन हेतु राज्य की समस्त 10400 उचित मूल्य दुकानों का डेटाबेस तैयार किया गया एवं उनसे संलग्न राशनकार्डों के आधार पर कम्प्यूटर के माध्यम से राज्य स्तर से ही दुकानवार राशन सामाग्री का आबंटन जारी किया जा रहा है । प्रत्येक उचित मूल्य दुकान को जारी आबंटन से अधिक राशन सामाग्री का प्रदाय संभव नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य दुकानों के आनलाईन डिलेवरी आर्डर जारी किए जा रहे हैं । इस हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के सभी 98 प्रदाय केन्द्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है एवं जिन स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं थी, वहां वीसेट स्थापित किए गए हैं । इस प्रकार राज्य मुख्यालय से लेकर लगभग राज्य के तहसील स्तर तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन सामाग्री के आबंटन, प्रदाय की प्रक्रिया आनलाईन हो गई है । उल्लेखनीय है कि कस्टम मिल्ड चावल का उपार्जन भी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आनलाईन किया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से यह

व्यवस्था पूर्व की तुलना में अधिक पारदर्शी एवं कार्यक्षम हुई है तथा इसकी मानिटरिंग में आशानुरूप सुधार हुआ है ।

केरोसिन का वितरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वित्तीय वर्ष 2007–08 में भारत सरकार से प्रतिमाह 15,734 किलोलीटर मिट्टी तेल का आबंटन प्राप्त हो रहा है । राज्य में प्रचलित राशनकार्डों की संख्या के आधार पर समस्त जिलों को प्रतिकार्ड 3.85 लीटर के मान से समानुपातिक आधार पर केरोसिन आबंटित किया जा रहा है ।

राज्य में मिट्टी तेल का वितरण थोक केरोसिन डीलर्स, लीड समितियों, उचित मूल्य दुकानों, एवं हॉकर्स के माध्यम से किया जा रहा है । भारत सरकार द्वारा दिनांक 02, अक्टूबर, 2005 से प्रयोगात्मक रूप में जन केरोसिन योजना राज्य के 07 जिलो के 11 विकास खण्डो में प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत आयल कंपनी द्वारा विशेष रंग के टैंकर से सीधे थोक डीलर के भूमिगत टैंक मे केरोसिन की डिलेव्हरी दी जाती है और वहां से थोक डीलर द्वारा कंपनी द्वारा प्रदाय विशेष रंग व नम्बर के ड्रमों में केरोसिन भरकर अपने सब डीलर को उपलब्ध कराया जाता है जो उचित मूल्य दुकान को उसके आबंटन के अनुरूप उपलब्ध कराता है। यह योजना राज्य के निम्न जिलों के विकासखण्डों मे संचालित की जा रही हैं –

क.	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम
1	रायपुर	फिंगेश्वर, अभनपुर
2	दुर्ग	बेरला, बेमेतरा, बालोद
3	बस्तर	कोंडागांव, बकावण्ड
4	जाजगीर चांपा	बम्हनीडीह
5	कांकेर	कांकेर
6	कोरबा	कटघोरा
7	महासमुंद	सरायपाली

प्रदेश में 95 थोक विक्रेताओं के माध्यम से 10,400 उचित मूल्य दुकानों के अतिरिक्त 1667 हॉकर्स द्वारा उपभोक्ताओं को मिट्टी तेल वितरित कराया जा रहा है । मिट्टी

तेल के आबंटन एवं उठाव (माह अप्रैल, 2007 से माह दिसंबर, 2007 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :-

(मात्रा किलोलीटर में)

आबंटन	वितरण
141606	**139796**

पेट्रोल / डीजल / केरोसिन एवं एल.पी.जी. डीलरों की जानकारी

प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण 533 पेट्रोल एवं डीजल पम्पों, 95 थोक केरोसिन विक्रेताओं तथा 134 एल.पी.जी. डीलर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को कराया जाता है । राज्य में कार्यरत पेट्रोल पंप, केरोसिन थोक डीलर एवं गैस एजेंसियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	पेट्रोल / डीजल पंप की संख्या	थोक केरोसिन डीलर की संख्या	एल.पी.जी. डीलर की संख्या
1	2	3	4	5
1	रायपुर	123	18	28
2	धमतरी	12	2	3
3	महासमुंद	18	3	4
4	बिलासपुर	56	14	19
5	जांजगीर	31	7	6
6	कोरबा	35	1	8
7	दुर्ग	93	14	21
8	राजनांदगांव	50	6	7
9	कवर्धा	7	3	3
10	रायगढ़	34	9	7
11	जशपुर	5	2	3
12	सरगुजा	26	5	4
13	कोरिया	11	2	7
14	बस्तर	16	6	7
15	कांकेर	8	2	1
16	दन्तेवाड़ा	8	1	6
	योग-	**533**	**95**	**134**

<u>समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन</u>

वर्तमान खरीफ वर्ष 2007–08 में 01 नवंबर, 2007 से दिनांक 31 जनवरी, 2008 तक समर्थन मूल्य पर धान की नगद खरीदी तथा दिनांक 15 फरवरी, 2008 तक लिकिंग के तहत खरीदी की समयावधि निर्धारित की गई है । वर्तमान खरीफ वर्ष में कॉमन धान हेतु राशि रूपए 645 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड–ए धान हेतु राशि रूपए 675 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है । साथ ही 100 रूपए प्रति क्विंटल बोनस भी किसानों को देय है ।

राज्य की अधिकृत एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 1333 सहकारी समितियों के 1533 खरीदी केन्द्रों से धान की खरीदी की जा रही है । अब तक राज्य में कुल 31.38 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है एवं लिकिंग योजना के तहत धान खरीदी जारी है ।

उपार्जित धान में से 6.25 लाख मेट्रिक टन धान भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित तथा 10.95 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किया जा चुका है। धान निराकरण की वर्तमान गति से संभावना है कि मार्च, 2007 तक समस्त उपार्जित धान का निराकरण हो जावेगा ।

<u>धान खरीदी का कम्प्यूटरीकरण</u> –

वर्तमान खरीफ वर्ष 2007–08 में राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है । इस वर्ष राज्य के 1533 धान खरीदी केन्द्रों में राज्य के किसानों से कम्प्यूटर के माध्यम से धान खरीदी का कार्य किया जा रहा है । इसके लिए राज्य शासन द्वारा सभी 1533 धान खरीदी केन्द्रों में कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक समिति के अंतर्गत आने वाले किसानों के नाम, कुल भूमि रकबा आदि की जानकारी धान खरीदी प्रारंभ होने के पहले ही कम्प्यूटर के साफ्टवेयर में दर्ज कर ली गई । इसके साथ ही किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय के तुरंत बाद कम्प्यूटर द्वारा निर्मित चेक तत्काल उपलब्ध कराया जा रहा है । 1533 धान खरीदी केन्द्रों से प्रति दिन डेटा प्राप्त करने के लिए मार्कफेड द्वारा 250 रनर्स नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर से डेटा डाउनलोड कर जनपद पंचायत के वी.सेट के माध्यम से एन.आई.सी. के सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है । धान खरीदी की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण के कारण प्रतिदिन किसानों से होने वाली खरीदी की जानकारी

राज्य शासन को तत्काल उपलब्ध हो रही है । राज्य के प्रत्येक जिले के किसान, जिसके द्वारा धान का विक्रय इस साफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है, उसकी जानकारी खाद्य विभाग की वेबसाईट में हर नागरिक के अवलोकन हेतु उपलब्ध है ।

<u>नेशनल ई–गर्वनेन्स अवार्ड 2007–08</u> –

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत निवारण विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के खाद्य विभाग को आनलाईन धान खरीदी के प्रोजेक्ट के लिए नेशनल ई–गर्वनेन्स के कांस्य पदक का अवार्ड दिया गया है ।

राशन सामाग्री के वितरण में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी

राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन सामाग्री के वितरण में पारदर्शिता तथा जनभागीदारी बढाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग द्वारा कॉल सेंटर एवं जनभागीदारी वेबासईट प्रारंभ की गई है ।

<u>कॉल सेंटर</u> –

खाद्य विभाग द्वारा स्थापित किए गए कॉल सेंटर का दूरभाष क्रमांक 1800–233–3663 है और यह एक टोल फ्री (निःशुल्क) फोन लाईन है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं खाद्य विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है । यह कॉल सेंटर प्रत्येक दिन प्रातः 8:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक कार्यरत है ।

काल सेंटर में दर्ज कराई जाने वाली शिकायत काल सेंटर के आपरेटरों द्वारा तत्काल इंटरनेट के माध्यम से संबंधित जिले के अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस हेतु प्रत्येक जिला खाद्य कार्यालय में प्रातः 8:00 बजे से लेकर रात्रि 10:00 बजे तक कार्य करने वाले काल सेंटर प्रकोष्ठ का गठन किया गया है । इस काल सेंटर प्रकोष्ठ में नियुक्त कर्मचारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारी दिया जा रहा है ।

शिकायतों की जांच के लिए सभी जिला मुख्यालय तथा अनुविभाग स्तर पर उडन दस्ते गठित किए गए हैं जो कि शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल सक्रिय होकर कार्यवाही की जा रही है । शिकायत की जांच के बाद जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा वेबसाईट में की गई कार्यवाही का विवरण दर्ज किया जा रहा है । यह विवरण दर्ज करते ही खाद्य विभाग

की वेबसाईट में उपलब्ध हो जाता है, जिसके आधार पर कॉल सेंटर द्वारा शिकायतकर्ता को उसके द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी दी जा रही है ।

जनभागीदारी वेबसाईट –

जन भागीदारी वेबसाईट राज्य शासन का एक ऐसा नवीन प्रयोग है जो कि राशन दुकान की मानिटरिंग के लिए देश के किसी भी राज्य में लागू नहीं है, अर्थात इस तरह की मानिटरिंग व्यवस्था लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है । इस वेबसाईट का पता www.cg.nic.in/citizen है । कोई भी नागरिक इस वेबसाईट में अपना निःशुल्क पंजीयन करा सकता है । पंजीयन कराने के बाद नागरिकों को ई–मेल के माध्यम से खाद्य विभाग से संबंधित शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी । इस पंजीयन के बाद नागरिकों द्वारा एस.एम.एस. के माध्यम राशन दुकान की जानकारी हेतु पंजीयन किया जा सकता है । एस.एम.एस. सुविधा के लिए पंजीयन में दर्ज किए गए मोबाईल नंबर अथवा ई–मेल आईडी पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के प्रदाय केन्द्र से संबंधित राशन दुकान को राशन प्रदाय हेतु ट्रक चालान कम्प्यूटर पर जारी करते ही राशन की मात्रा एवं ट्रक क्रमांक की जानकारी के साथ–साथ प्रदाय तिथि एवं समय की जानकारी एस.एम.एस. अथवा ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध हो जावेगी । अपने मोबाईल नंबर पर राशन प्रदाय की जानकारी प्राप्त होते ही नागरिक द्वारा संबंधित राशन दुकान में जाकर राशन सामाग्री के पहुंचने की पुष्टि भी की जा सकती है ।

इस सुविधा का लाभ कोई भी जागरूक नागरिक, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, स्वयं सेवी संगठन आदि द्वारा उठाया जा सकता है एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन में अपना योगदान दे सकता है । राज्य शासन की यह मंशा है कि राज्य के अधिक से अधिक नागरिकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानिटरिंग में जन सहभागिता सुनिश्चित करें ।

निगरानी समितियां –

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 के प्रावधानों के अनुरूप, जिला स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकान स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई है । निगरानी समितियां यह सुनिश्चित कर रही है उचित मूल्य दुकान पर विहित विवरण प्रदर्शित हो, दुकानें निर्धारित दिनों एवं समय पर खुली रहे, दुकानदार द्वारा आबंटन के अनुसार सामग्री प्राप्त कर निर्धारित मात्रा में पात्र व्यक्तियों को प्रदाय किया जावे । नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण के अधिकार हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

विभाग में सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अनुदेशों का पालन प्रांरभ किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार उन्हें अभिलेखों की प्रतिलिपियां/जानकारियां प्रदान की जाती हैं । विभाग, संचालनालय एवं जिला स्तर पर नियुक्त सहायक जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की जानकारी निम्नानुसार है :–

विभाग–स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
अवर सचिव, छ.ग.शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग	विशेष सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.विभाग	सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

संचालनालय स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
सहायक संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. रायपुर	संयुक्त संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. रायपुर	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

जिला स्तर पर

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
सहायक खाद्य अधिकारी	खाद्य नियंत्रक/ खाद्य अधिकारी	संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

निगरानी, मूल्य नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा छापे

जिलों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की साप्ताहिक जानकारी प्राप्त की जाकर विभाग स्तर पर प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा की जाती है तथा प्रतिवेदित होने वाली कठिनाईयों का निराकरण किया जाता है ।

नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन सुदृढ़ करने तथा त्रुटिकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने की दृष्टि से विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा समय–समय पर संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं व दोषियों के विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान माह अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक आवश्यक वस्तुओं के दुरूपयोग पर नियंत्रण हेतु कुल 199 छापे मारे गए, 8 प्रकरणों में दोषियों को गिरफ्तार किया गया, 35 व्यक्ति दोषसिद्ध पाए गए तथा 1.01 करोड़ रूपए मूल्य की आवश्यक वस्तुएं जप्त की गई ।

लेव्ही चावल एवं सी.एम.आर. उपार्जन

राज्य शासन द्वारा लेव्ही चावल का उपार्जन अनिवार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ चावल उपाप्ति (उद्ग्रहण) आदेश, 2007 दिनांक 22 नवंबर, 2007 से राज्य में लागू किया गया है। नवीन लेव्ही आदेश के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक मिलर एवं व्यौहारी द्वारा उत्पादित एवं क्रय चावल की 50 प्रतिशत मात्रा लेव्ही के लिए अनिवार्य की गई है । इसके फलस्वरूप अब तक तक भारतीय खाद्य निगम में 3.08 लाख मेट्रिक टन तथा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में 0.42 लाख मेट्रिक टन लेव्ही चावल जमा कराया जा चुका है, जो कि विगत वर्ष के दौरान इस अवधि तक जमा कराए गए चावल का लगभग 5 गुना है ।

इस वर्ष शासकीय धान की कस्टम मिलिंग एवं कस्टम मिल्ड चावल के उपार्जन की समस्त प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप कस्टम मिलिंग के लिए प्रदाय धान एवं जमा हो रहे कस्टम मिल्ड चावल की जानकारी विभागीय वेबसाईट में आनलाईन उपलब्ध है । कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण से धान के उठाव में अनियमितता की संभावना समाप्त होने के साथ–साथ खरीदे गए धान तथा जमा चावल के लेखों का मिलान भी शीघ्र पूर्ण हो जावेगा ।

वर्तमान खरीफ मौसम में उपार्जित धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल 3.23 लाख मेट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम में तथा 6.52 लाख मेट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड में जमा कराया जा चुका है।

नाप तौल कार्यालय

मुख्य उद्देश्य

नापतौल कार्यालय का मुख्य उद्देश्य राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित बांट माप नियमों का परिपालन सुनिश्चित करना है । इसके अंतर्गत विभाग विभिन्न स्तरों पर मानकों का संधारण कर व्यापार और वाणिज्य में उपयोग में लाये जाने वाले बांट माप तथा तौल यंत्रो की प्रमाणिकता को सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करता है ।

बाजार में क्रय–विक्रय और विनिमय के दौरान वस्तुओं का, चुकाये गए मूल्य के अनुरूप ही परिदान हो यह देखना भी विभाग का मुख्य कार्य है ।

नियम एवं अधिनियम

नापतौल कार्यालय मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत ही अपनी गतिविधियां संचालित करता है । वर्तमान में राज्य में निम्न केन्द्रीय नियम एवं अधिनियम प्रचलन में है :–

1. बांट तथा माप मानक अधिनियम 1976
2. बांट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977
3. बांट तथा माप मानक (प्रवर्तन) नियम 1985
4. बांट तथा माप मानक (सामान्य) नियम 1987
5. बांट तथा माप मानक (अन्तर्राज्यीय सत्यापन एवं मुद्राकंन) नियम 1987
6. बांट तथा माप मानक (संख्यांक) नियम 1987
7. बांट तथा माप मानक (प्रतिमानों का अनुमोदन) नियम 1987
8. बांट तथा माप मानक (राष्ट्रीय मानक) नियम 1988

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अनुमोदित छत्तीसगढ़ बांट तथा माप मानक प्रवर्तन नियम 1989 भी प्रचलन में है ।

विभागीय गतिविधियां

विभाग का मुख्य कार्य बांट माप का सत्यापन कर निर्धारित राजस्व प्राप्त करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभागीय निरीक्षकों द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में वर्ष के प्रत्येक माह में पुनः सत्यापन शिविरों का आयोजन कर व्यापारियों के बांट माप का सत्यापन कर राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाता है ।

राज्य में प्रतिवर्ष इस प्रकार के कुल 488 पुनः सत्यापन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त बाजार का सतत् निरीक्षण कर नापतौल नियमों का अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण दर्ज किये जाते हैं ।

नियंत्रक नापतौल कार्यालय

नियंत्रक नापतौल कार्यालय की संरचना

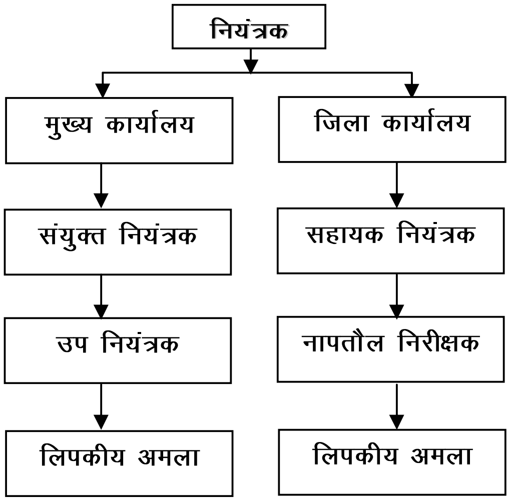

राज्य पुनर्गठन के पश्चात् नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग द्वारा कुल 132 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अमला स्वीकृत किया गया है, जिनमें प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के 02 पद, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के 03 पद एवं नापतौल निरीक्षकों के 28 पद स्वीकृत हैं । शेष 99 पद लिपिकीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के हैं ।

संयुक्त नियंत्रक एवं उप नियंत्रक नापतौल के एक–एक पद राज्य केडर के हैं, जिनकी पदस्थापना रायपुर में है । जबकि 03 सहायक नियंत्रकों के मुख्यालय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में हैं । प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर कम से

कम एक निरीक्षक मुख्यालय स्थापित है । सभी संवर्गो में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

कार्यरत अमले की जानकारी

क.	श्रेणी	स्वीकृत पद
1	प्रथम	02
2	द्वितीय	03
3	तृतीय	80
4	चतुर्थ	47
	योग	**132**

विभागीय आय

बांट माप सत्यापन शुल्क के रूप में विभाग को राजस्व की प्राप्ति होती है और यही उसकी आय का मुख्य स्त्रोत है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय का लक्ष्य आबंटित किया जाता है जिसके विरूद्ध विभागीय निरीक्षक, राजस्व प्राप्त करते हैं । इस वित्तीय वर्ष 2007—08 हेतु राशि रूपये 2.00 करोड़ का आय लक्ष्य निर्धारित है । जिसके विरूद्ध माह अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक राशि रूपये 1.21 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है ।

निरीक्षकों द्वारा बाजार का सतत् निरीक्षण कर बांट माप नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों के विरूद्ध अभियोजन दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाती है । प्रकरण राजीनामा के माध्यम से भी निराकृत किये जाते हैं, जिससे भी विभाग को राजस्व प्राप्त होता है । इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक कुल 932 प्रकरण दर्ज कर लगभग राशि रूपये 2.65 लाख का राजीनामा शुल्क वसूल किया गया है ।

अनुज्ञप्तियां

बांट माप नियमों के अंतर्गत राज्य की अधिकारिता सीमा में बांट माप के निर्माण, विक्रय एवं सुधार कार्य हेतु अनुज्ञप्तियां जारी की जाती है । प्रदेश में वर्तमान में निर्माता अनुज्ञप्तियों की कुल संख्या 12, विक्रेता अनुज्ञप्तियों की संख्या 298 एवं सुधारक अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या 250 है । इस प्रकार तीनों श्रेणियों में अनुज्ञप्तिधारियों की कुल संख्या 560 है ।

सूचना का अधिकार

विभाग में सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अनुदेशों का पालन प्रारंभ किया जा चुका है जिसके अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार उन्हें अभिलेखों की प्रतिलिपियां/जानकारियां प्रदान की जाती है । विभाग में सूचना पदाधिकारियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

सहायक जन सूचना अधिकारी	जन सूचना अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	**2**	**3**
जिले में पदस्थ सहायक नियंत्रक नाप–तौल	संयुक्त नियंत्रक नाप–तौल छत्तीसगढ़ रायपुर	नियंत्रक नाप–तौल, छत्तीसगढ़ रायपुर

उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं फोरम

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की संरचना

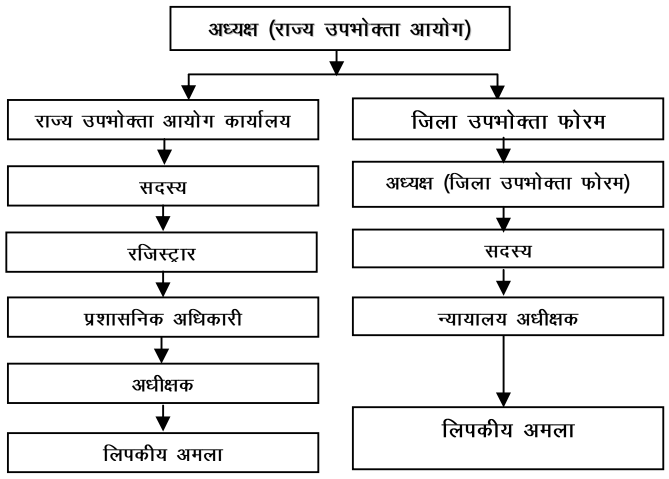

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण हेतु त्रि–स्तरीय उपभोक्ता न्यायालयों की व्यवस्था है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार सेटअप स्वीकृत किया गया है –

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	01
2	सदस्य	02
3	रजिस्ट्रार	01
4	द्वितीय श्रेणी पद	03
5	तृतीय श्रेणी पद	22
6	चतुर्थ श्रेणी पद	12
	योग	**41**

जिला उपभोक्ता फोरम

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	09
2	सदस्य	32
3	तृतीय श्रेणी पद	68
4	चतुर्थ श्रेणी पद	48
5	चौकीदार	12
	योग	**167**

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम

अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक जिले मे कम से कमं एक उपभोक्ता फोरम स्थापित हो । आवश्यकतानुसार एक से अधिक जिला फोरम भी स्थापित किये जा सकते है। प्रदेश के समस्त जिलो में जिला उपभोक्ता फोरम स्थापित है जिनमें से 09 जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता फोरम क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, कोरिया एवं कोरबा तथा शेष 07 जिलो में अंशकालिक जिला फोरम क्रमशः महासमुन्द, धमतरी, जांजगीरचांपा, कबीरधाम, जशपुर, कांकेर एवं दंतेवाडा कार्यरत है । राज्य शासन द्वारा नवीन जिला नारायणपुर एवं बीजापुर का अंशकालिक जिला फोरम गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

जिला फोरम में रूपये 20.00 लाख तक के प्रकरण पंजीबद्ध होते है, जिसे उपभोक्ता/परिवादी द्वारा सादे आवेदन पत्र पर पंजीबद्ध कराया जा सकता है । जिला उपभोक्ता फोरम में प्रकरणो के पंजीयन का शुल्क निम्नानुसार है –

1. ऐसे परिवादी जो अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत कार्डधारी है और गरीबी रेखा के नीचे के हैं के लिए एक लाख रूपये तक कोई शुल्क नही है ।

2. अन्त्योदय अन्न योजना कार्डधारको से भिन्न परिवादियों के लिए

(अ) एक लाख रूपये तक	रूपये 100 / —
(ब) एक लाख से अधिक और पॉच लाख रूपये तक	रूपये 200 / —
(स) पॉच लाख से अधिक और दस लाख रूपये तक	रूपये 400 / —
(द) दस लाख से अधिक और बीस लाख रूपये तक	रूपये 500 / —

जिला फोरम में सुनवाई हेतु एक अध्यक्ष दो सदस्य जिनमें से एक महिला सदस्य होते हैं । अध्यक्ष के पद पर जिला न्यायाधीश की सेवाएं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध करायी जाती है, सदस्यों का चयन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जो कि किसी भी क्षेत्र जैसे प्रशासनिक सेवा, लेखा सेवा, सामाजिक कार्य आदि में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता हो, कम से कम स्नातक हो एवं 35 वर्ष से अधिक परन्तु 65 वर्ष से कम आयु का हो से किया जाता है । सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक के लिए की जाती है ।

राज्य के समस्त जिला फोरमो में अभी तक पंजीबद्ध एवं निराकृत प्रकरणो की संख्या (दिनांक 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति में) निम्नानुसार है —

प्राप्त प्रकरण	—	25878
निराकृत प्रकरण	—	23081
लंबित प्रकरण	—	2797

जहां तक संभव होता है जिला फोरम प्रकरणों पर अपना निर्णय तीन माह के अन्दर देते है किन्ही अपरिहार्य कारणों से इसमें विलम्ब हो सकता है ।

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर का गठन दिनांक 01.11.2002 को किया गया है । जिसका मुख्य कार्य जिला फोरम के फैसलों के विरूद्ध आने वाली अपीलों की सुनवाई तथा रूपये 20.00 लाख से अधिक एवं 1.00 करोड़ तक की राशि का शिकायतों की सुनवाई करना है, जिसके लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित है—

(अ) बीस लाख से अधिक और पचास लाख रूपये तक रूपये 2000 / —

(ब) पचास लाख से अधिक और एक करोड़ रूपये तक रूपये 4000 / —

2. राज्य आयोग में सुनवाई हेतु एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य जिनमें से एक महिला सदस्य होते है । अध्यक्ष के पद पर उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश अथवा

सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पॉच वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक नियुक्ति की जाती है।

राज्य आयोग के सदस्यों के लिए भी वही योग्यता है जो जिला फोरम के सदस्यों के लिये दर्शायी गयी है । राज्य आयोग के सदस्यों की अवधि 5 वर्ष अथवा 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक है ।

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल से निम्नानुसार प्रकरण प्राप्त हुए :—

1.	मूल प्रकरण	36
2.	अपील	921
3.	विविध	11
	कुल	**968**

दिनांक 01.11.2002 से 31.12.2007 तक छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में प्राप्त प्रकरणों की संख्या एवं निराकृत प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है:—

विवरण	प्राप्त प्रकरण	निराकृत	शेष लंबित
मूल शिकायत	92	66	26
अपील	4018	3611	407
विविध	368	345	23

राज्य उपभोक्ता आयोग, रायपुर में दिनांक 31.10.2005 से लगातार प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है । दिनांक 31.12.2007 तक लोक अदालत के माध्यम से 77 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग कार्यरत है जहां एक करोड़ से अधिक राशि के प्रकरणों की सुनवाई की जाती है, जिसके लिये रूपये 5000/— शुल्क निर्धारित है ।

उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों का विस्तार

विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के विस्तार तथा उपभोक्ता अधिकारों के प्रचार–प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा 20 लाख रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई है । जो प्रत्येक जिले को 1.25 लाख रूपए की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है एवं उपभोक्ता गतिविधियों का प्रचार–प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया है । वर्तमान में राज्य के 10 जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया जा चुका है तथा शेष 06 जिलों में गठन की कार्यवाही प्रचलित है । राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन की कार्यवाही प्रचलित है । राज्य में 305 विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबो का गठन किया जा चुका है । राज्य के अधिक से अधिक विद्यालयो/महाविद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों के गठन की कार्यवाही की जा रही है ।

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन लिमिटेड की गतिविधियां

कार्पोरेशन द्वारा शासन के अभिकर्ता के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य संपादित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन द्वारा भारतीय खाद्य निगम के अभिकर्ता के रूप में मक्का का समर्थन मूल्य पर उपार्जन एवं विपणन एवं व्यवसाय से संबंधित कार्य संपादित किये जाते हैं ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश के लिए खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर का मासिक आबंटन कार्पोरेशन के द्वारा स्थापित किए गए प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों को उपलब्ध कराया जाता है । कार्पोरेशन के द्वारा 98 प्रदाय केन्द्र संचालित हैं । भारतीय खाद्य निगम के 11 प्रदाय केन्द्रों से गेहूं एवं शक्कर मिलों से शक्कर का निगम द्वारा उठाव किया जाकर प्रदाय केन्द्रों तक पहुंचाया जाता है, जहां से सहकारी संस्था/उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक वितरण कराये जाने की व्यवस्था है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, मध्यान्ह भोजन योजना एवं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनांतर्गत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं खाद्यान्न उपलब्धता बनाए रखने में निगम की प्रमुख भूमिका है ।

छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम की गतिविधियां

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेव्हलपमेंट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत 02 मई 2002 को हुई है। निगम के राज्य शासन एवं केन्द्रीय भंडारण गृह निगम 50–50 प्रतिशत अंशधारी है । छत्तीसगढ़ में निगम के 107 शाखाओं के गोदामों की संख्या 426 है, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता 5.05 लाख मेट्रिक टन है । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा प्रदेश में किराए पर लिए गए 180 गोदामों की कुल भण्डारण क्षमता 2.80 लाख मेट्रिक टन है । कृषकों/जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस उद्देश्य से स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना तथा वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना निगम का प्रमुख उद्देश्य है ।

निगम गठन के पश्चात 77,700 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया गया है । गोदामों का निर्माण ऋण एवं स्वयं के साधनो से किया गया है । कृषकों/जमाकर्ताओं के हितों के साथ–साथ समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित नीतियों को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कंध भण्डारण एवं वितरण, समर्थन मूल्य, वाणिज्यिक खरीदी इत्यादि को भी ध्यान में रखकर प्राथमिकता पर भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराता है ।

भाग–दो
विभाग का बजट

विभाग का बजट आयोजना एवं आयोजनेत्तर का है । केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से विशेष कार्यों के लिए प्राप्त राशियां आयोजना मद में स्वीकृत होती है। वर्ष 2007–2008 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट में निम्नानुसार राशि प्रावधानित है :–

(राशि हजार रूपयों में)

मांग संख्या		आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
मांग संख्या – 39	मतदेय	626814	1469402	2096216
	भारित	10	0	10
मांग संख्या – 41	मतदेय	0	1347370	1347370
	भारित	0	0	0
मांग संख्या – 64	मतदेय	0	324526	324526
	भारित	0	0	0
प्रथम अनुपूरक अनुमान				
मांग संख्या – 39	मतदेय	3022	2500000	2503022
	भारित	40	0	40
द्वितीय अनुपूरक अनुमान				
मांग संख्या – 39	मतदेय	5533800	0	5533800
योग मतदेय		**6163636**	**5641298**	**11804934**
योग भारित		**50**	**0**	**50**

मांग संख्या 39, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रावधानित राशि रूपए 6150661000/– के विरूद्ध दिनांक 31.12.2007 तक राशि रूपए 36471000/– का व्यय किया गया है । इसी प्रकार नाप–तौल कार्यालय हेतु प्रावधानित राशि रूपए 1256196000/– (आयोजनेत्तर एवं आयोजना) के विरूद्ध राशि रूपए 8139085/– का व्यय किया गया है । मांग संख्या मांग संख्या 39 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत आयोजना मद में प्रावधानित राशि रूपए 3968202000/– के विरूद्ध दिनांक 31.12.2007 तक राशि रूपए 3329768000/– का व्यय किया गया है । मांग संख्या 41 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आयोजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपए 1347370000/– के विरूद्ध 1249648000/– का व्यय किया गया है एवं मांग संख्या 64 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपए 324526000/– के विरूद्ध 27685200/– का व्यय किया गया है ।

वर्ष 2006–2007 के लिए आयोजनेत्तर/आयोजना बजट प्रावधान की जानकारी

(राशि हजार रूपयों में)

मांग संख्या – 39

विवरण	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
एक– राजस्व अनुभाग,			
2408– खाद्य, भंडारण और भंडागारण			
01–खाद्य			
001–निर्देशन और प्रशासन	84673	7030	91703
	10	0	10
102–खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	529156	496152	1025308
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	0	125000	125000
02–भंडारण और भंडागारण			
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	10	0	10
योग लेखा शीर्ष –2408	**613839**	**628182**	**1242021**
	10	0	10
3475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
106– तोल और माप का विनियमन	12975	1200	14175
योग लेखा शीर्ष –3475	12975	1200	14175
योग एक– राजस्व अनुभाग	626814	629382	1256196
	10	0	10
6408– खाद्य भंडारण और भंडागारण के लिए उधार			
01–खाद्य			
800– अन्य व्यय	0	10	10
02–भंडारण और भंडागारण			
190– सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश	0	840010	840010
योग लेखा शीर्ष– 6408	0	840020	840020
योग दो– पूंजी अनुभाग	0	840020	840020
योग मांग संख्या–39	**626814**	**1469402**	**2096216**
	10	**0**	**10**

मांग संख्या–41

विवरण	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
एक– राजस्व अनुभाग,			
2408–खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण			
01–खाद्य			
102–खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	0	646620	646620
190–सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	0	130000	130000
योग लेखा शीर्ष – 2408	0	776620	776620
योग एक–राजस्व अनुभाग	0	776620	776620
दो–पूंजी अनुभाग			
6408–खाद्य भण्डारण और भण्डागारण के लिए उधार			
01–खाद्य			
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को उधार	0	750	750
02–भण्डारण और भण्डागारण			
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को उधार	0	570000	570000
योग लेखा शीर्ष–6408	0	570750	570750
योग दो–पूंजी अनुभाग	0	570750	570750
योग मांग संख्या–41	0	1347370	1347370

मांग संख्या–64

विवरण	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
एक– राजस्व अनुभाग,			
2408–खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण			
01–खाद्य			
102–खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता	0	99276	99276
190–सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	0	45000	45000
योग लेखा शीर्ष – 2408	0	144276	144276
योग एक–राजस्व अनुभाग	0	144276	144276
दो–पूंजी अनुभाग			
6408–खाद्य भण्डारण और भण्डागारण के लिए उधार			
01–खाद्य			
800–अन्य व्यय	0	250	250

02–भण्डारण और भण्डागारण			
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों को उधार	0	180000	180000
योग लेखा शीर्ष–6408	0	180250	180250
योग दो–पूंजी अनुभाग	0	180250	180250
योग मांग संख्या–64	0	324526	324526

<u>प्रथम अनुपूरक अनुमान</u>

विवरण	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
एक– राजस्व अनुभाग,			
2408–खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण			
01–खाद्य			
001–निर्देशन और प्रशासन मातदेय	3022	0	3022
भारित	40	0	40
102–खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता			
6408–खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण			
02–भण्डारण और भण्डागारण			
190–सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों को सहायता	0	2500000	2500000
योग–	**3022**	**0**	**3022**

<u>द्वितीय अनुपूरक अनुमान</u>

विवरण	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
2408–खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण			
01–खाद्य			
002–निर्देशन और प्रशासन मतदेय	5533800	0	5533800

भाग–तीन

केन्द्र प्रवर्तित/राज्य योजनाएं

पहुंचविहीन क्षेत्रों में भंडारण

प्रदेश के ऐसे स्थानों, जहां वर्षा ऋतु के दौरान आवागमन मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं वहां खाद्यान्न, शक्कर, अमृत नमक तथा केरोसिन उपभोक्ताओं को सुलभ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्षा ऋतु के पूर्व अग्रिम भण्डारण किया जाता हैं । शासन द्वारा सहकारी समितियों को ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुएं चार माह के लिए संग्रहित करने हेतु बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है ।

वर्ष 2007–2008 में खाद्यान्न भण्डारण हेतु राज्य के समस्त जिलों को राशि रूपए 854.17 लाख उपलब्ध करायी गयी है । पहुंचविहीन केन्द्रों में आवश्यक वस्तुओं के अग्रिम भण्डारण हेतु वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रूपये 900 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है ।

कार्यशील पूंजी

विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं महिला स्व–सहायता समूहों को उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई है । वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान ग्राम पंचायतों एवं स्व सहायता समूहों को दुकानों के संचालन हेतु रूपये 38.44 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 में रूपए 3.91 करोड़ उपलब्ध कराई गई है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 के बजट में इस हेतु राशि रूपए 10,10,000 का प्रावधान है एवं वर्ष 2008–09 हेतु राशि रूपए 10,10,0000 का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

अमृत नमक वितरण योजना

इस योजना से राज्य के ऐसे समस्त परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे है उन्हे 25 पैसे प्रति किलो की दर से प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक प्रतिमाह प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है एवं वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया जाता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा राशि रूपये 10.46 करोड़ का व्यय

किया जा चुका है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2007–08 में राशि रूपये 12.69 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रूपये 21.77 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

इस योजना के लागू होने से जनजातीय परिवारों को वस्तु विनिमय के नाम से किये जा रहे शोषण के साथ–साथ आयोडीन के अभाव से होने वाले घेघा जैसे घातक रोग से भी मुक्ति मिली है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 अप्रैल, 2007 से दिसंबर, 2007 तक वितरित अमृत नमक की जानकारी निम्नानुसार है –

(मात्रा मे.टन में)

आबंटन	वितरण
52825.08	**48726.71**

अन्नपूर्णा दाल–भात योजना

गरीब एवं जरूरतमन्द व्यक्तियों को अत्यन्त कम मूल्य अर्थात पांच रूपये की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा दाल भात योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं, महिला समूहो एवं समाजसेवी व्यक्तियों के स्वस्फूर्त सहयोग से इसे संचालित किया जा रहा है । 31.01.2008 की स्थिति में 177 अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । राज्य शासन द्वारा दाल–भात केन्द्रों को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क गैस चूल्हे एवं प्रेशर कुकर उपलब्ध कराये गए हैं तथा बी.पी.एल. दर पर प्रतिमाह 344 मेट्रिक टन चावल प्रदाय किया जा रहा है । इस योजना से प्रतिदिन 30 से 35 हजार जरूरतमंद हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2007–08 में दालभात केन्द्रों को फर्नीचर, बर्तन आदि उपलब्ध कराने हेतु राशि रूपए 10 लाख का बजट प्रावधन रखा गया है । वर्ष 2008–09 के बजट में राशि रूपए 10 लाख का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आयोजना)

ग्रामीण ग्रेन बैंक योजना

ग्रामीण ग्रेन बैंक का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक प्रकोप के दौरान या उस अवधि में जब मजदूरों अथवा जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न हो तथा उनके पास खाद्यान्न क्रय करने के पर्याप्त साधन न हो, ऐसे लोगों को भुखमरी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है । उपरोक्त उल्लेखित लक्षित समूह के व्यक्ति ग्रामीण ग्रेन बैंक से आवश्यकतानुसार खाद्यान्न अपने गांव में स्थापित ग्रेन बैंक से अधिकतम 1 क्विंटल चावल उधार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं ।

स्थानीय लोगों की गठित कार्यपालिक समिति के माध्यम से ग्रेन बैंक की स्थापना एवं प्रबंधन के जरिए दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने सूखे से उत्पन्न पलायन के प्रभाव को सीमित करने एवं महिला सशक्तिकरण को दृष्टिगत रखते हुए संसाधनों तक उनकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में 1904 ग्रेन बैंक संचालित कराए जा रहे हैं, जिनमें से 1642 ग्रेन बैंकों की स्थापना वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान की गई है । इस योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रूपए 50 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा वर्ष 2008–09 के लिए रूपए 50 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

उपभोक्ताओं की जागरूकता हेतु वित्तीय सहायता

उपभोक्ताओं की जागरूकता हेतु राशि रूपये 20 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है । यह राशि प्रदेश के सभी जिलों को उपभोक्ताओं में जागरूकता हेतु कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राशि रूपये 1.25 लाख प्रति जिला के मान से उपलब्ध कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु 20 लाख का प्रावधान रखा गया है । इसी प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए 20 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजना (आयोजना)

उपभोक्ता कल्याण निधि

राज्य शासन द्वारा राज्य में कार्यरत गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारो के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन किया

गया है । इस निधि हेतु राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 25 लाख तथा भारत सरकार द्वारा भी राशि रूपये 25 लाख उपलब्ध कराई जाती है । वर्ष 2007–08 हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर राशि रूपए 50 लाख का प्रावधान है । इसी प्रकार वर्ष 2008–09 के लिए भी राशि रूपए 50 लाख केन्द्रांश एवं राज्यांश को जोडकर प्रस्तावित किया गया है ।

छत्तीसगढ़ शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2007 2008

समर्थन मूल्य पर ऑनलाईन धान खरीदी हेतु विभागीय प्रोजेक्ट

भारत सरकार के नेशनल ई–गर्वनेंस 2007–08 अवार्ड से सम्मानित

प्रभारी मंत्री का नाम	–	माननीय श्री सत्यानंद राठिया
सचिव	–	डॉ. आलोक शुक्ला
विशेष सचिव	–	डॉ. बी. एस. अनंत
उप सचिव	–	श्री पी. एस. तिवारी